

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक 714 दिनांक 14.12.16, 388 दिनांक 10.6.16, 627 दिनांक 24.10.2016, 608 दिनांक 01.10.2016 एवं 79 दिनांक 20.02.2017 से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 360000/- (तीन लाख साठ हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 430 दिनांक 29.11.16, 10 दिनांक 12.1.17, 101 दिनांक 15.2.17 एवं 227 दिनांक 9.5.17 द्वारा खाता संख्या 75100100011049, आई.एफ.एस.सी PUNBOMBGB06, 74140700057522 आई.एफ.एस.सी PUNBOMBGB06, 7441070004221 आई.एफ.एस.सी PUNBOMBGB06, 70670100127 आई.एफ.एस.सी PUNBOMBGB06 एवं खाता संख्या 71130700005905 आई.एफ.एस.सी PUNBOMBGB06 में राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रितों/लाभार्थियों के खाता में त्रुटिपूर्ण बैंक खाता विवरणी रहने के कारण के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 430 दिनांक 29.11.16 के क्रमांक 04, 10 दिनांक 12.1.17 के क्रमांक 20 एवं 24, 101 दिनांक 15.2.17 के क्रमांक 05 एवं 227 दिनांक 9.5.17 के क्रमांक 1 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा के पत्रांक 547 दिनांक 12.8.17 एवं 594 दिनांक 26.8.17 के द्वारा प्राप्त बैंक खाता विवरणी के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि का विमुक्ति का आदेश दिया जाता है, जिसका व्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम/उम्र, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम	आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्ता का व्यौरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सुपन गोड्ड, अनु० जाति	श्रीमती धनमान्ती कुर्वर (पत्नी)	ग्रा०-बलबतरा, पो०+प्र०-आरा, था०-आरा (नगर), भोजपुर	75130700005905	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, सिंगढी	PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु
2	स्व० विनोद कुमार यादव, श्री मनबोधन यादव, पि० जाति	श्रीमती उमरावती देवी (पत्नी)	ग्रा०-बलुआँ, पो०-दौलतपुर, था०-आरा मु०, प्र०-आरा सदर, भोजपुर	7455001700010941	पंजाब नेशनल बैंक, आरा गौसगंज	PUNB0745500	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु
3	स्व० सुमित्रा देवी, अनु० जाति	श्री अवध बिहारी बीन (पति)	ग्रा०+पो०-बबुरा, था०+प्र०-बड़हारा, भोजपुर	74410700004221	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बबुरा	PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु
4	स्व० छवतरन मुसहर, अनु० जाति	श्रीमती रेशमी कुर्वर (पत्नी)	ग्रा०-बलुआँ, पो०-बेलघाट बलुआँ, था०-आरा(मु०), प्र०-आरा, भोजपुर	74141700088981	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, अनारड	PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु
5	स्व० इन्द्रबली राम, अनु० जाति	श्रीमती मीना देवी (पत्नी)	ग्रा०+पो०+था०-पवना, प्र०-अगिआँव, भोजपुर, आरा	70670100127373	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पवना	PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु

कुल :- ₹ 360000/-
(तीन लाख साठ हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पियों के सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि(कॉलम नं0 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं0 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव, सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं0 श्रम क0 सं0-39/2015 के पृष्ठ-46/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

5. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 101 दिनांक 15.2.17 के क्रमांक 05 में अंकित स्व0 सुपन गोड़ के आश्रित श्रीमती धनमान्ती कुंवर(पत्नी) भुगतान की स्वीकृत राशि रू0 30000/-, 430 दिनांक 29.11.16 के क्रमांक 04 में अंकित स्व0 विनोद कुमार यादव के आश्रित श्रीमती उमरावती देवी, भुगतान की स्वीकृत राशि रू0 100000/-, 10 दिनांक 12.1.17 के क्रमशः क्रमांक 20 में अंकित स्व0 छवतरन मुसहर के आश्रित श्रीमती रेशमी कुर्वर(पत्नी) भुगतान की स्वीकृत राशि रू0 100000/-, 24 में अंकित स्व0 सुमित्रा देवी के आश्रित श्री अवध बिहारी बीन(पति) भुगतान की स्वीकृत राशि रू0 30000/- एवं 227 दिनांक 9.5.17 के क्रमांक 01 पर अंकित स्व0 इन्द्रबली राम के आश्रित श्रीमती मीना देवी(पत्नी) भुगतान की स्वीकृत राशि रू0 100000/-को निरस्त किया जाता है।

ह0/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(सुधा रानी)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-39/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं0 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(सुधा रानी)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-39/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह0/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(सुधा रानी)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-39/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 360000/- (तीन लाख साठ हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(सुधा रानी)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा को उनके पत्रांक 547 दिनांक 12.08.2017, 594 दिनांक 26.08.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(सुधा रानी)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को उनके पत्रांक 714 दिनांक 14.12.16, 388 दिनांक 10.6.16, 627 दिनांक 24.10.2016, 608 दिनांक 01.10.2016 एवं 79 दिनांक 20.02.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(सुधा रानी)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-


(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39/2015-465


पटना, दिनांक :- 5-10-17

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी



(सुधा रानी)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।